न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4649/2003/जिला हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रभारी अधिकारी।

....अपीलार्थी

बनाम

1- बगड़ावत पुत्र लाधुराम विश्नोई निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2- हनुमान) पिसरान बुधराम जाति विश्नोई निवासी मालारामपरा
3- कृष्णलाल) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4- रामकुमार)
5- जगदीश पुत्र धोकलराम) जाति विश्नोई साकिन मालारामपुरा
6- पालाराम पुत्र धोकलराम) तहसील संगरिया
7- कैलाश पुत्र पृथ्वीराज
8- मनोज पुत्र पृथ्वीराज
9- लक्ष्मीदेवी पुत्री पृथ्वीराज
10- सरलादेवी पुत्री पृथ्वीराज
11- तुलछी पुत्री धोकलराम
12- शांती पुत्री धोकलराम
13- लुंगा पुत्री धोकलराम
14- कृष्ण पुत्र बृजलाल
15- बाली पुत्री बृजलाल
समस्त जाति विश्नोई निवासीगण शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

...प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री सूरजभान जैमन, सदस्य

उपस्थितः–
श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ।
श्री शशिकान्त जोशी, श्री थानेश्वर शर्मा एवं श्री मनीष पाण्ड्या, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 26 अप्रेल, 2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 59/2001 में दिनांक 17-7-2003 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 से 4/वादीगण ने शेष प्रत्यर्थीगण व अपीलार्थी राज्य सरकार के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर, संगरिया जिला हनुमानगढ़ के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि तहसील संगरिया के चक 9 के.एस.डी. की आराजी पत्थर नंबर 143/113 किला नंबर 25, प.न. 143/114 कि.न. 2 ता 25 प.नं. 142/114 कि.न. 6, 15, 16, 25, प.नं. 144/114 कि.न. 11, 20, 21 कुल 32 बीघा भूमि व चक 13 के एस.डी. के मु.नं. 9 कि.न. 11, 12, 16 ता 25 मु.नं. 10 कि.नं. 16 ता 25 कुल 52 बीघा भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होन से पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्ष 1955 से पूर्व उक्त भूमि पर श्री ढोकलराम व बृजलाल बतौर खातेदार दर्ज थे। वादीगण बतौर उप कृषक काश्त करते थे व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् भूमि पर बतौर काश्तकार काबिज चले आ रहे है एवं भूमि पर लगान भी अदा करते चले आ रहे हैं परन्तु इसके बावजूद भी राजस्व रिकार्ड में हाल प्रत्यर्थी (प्रतिवादी संख्या 1 से 8) का नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में ढोकलराम व बृजलाल के वारिसान के नाम से खातेदारी दर्ज होने के कारण सीलिंग संबंधी कार्यवाही में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पिता के नाम खातेदारी में सम्मिलित कर ली गयी। इससे वादीगण/हाल अपीलार्थी संख्या 1 से 4 के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वादीगण ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधा बाबत वाद पेश किया। परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बावजूद सूचना उपस्थित

नहीं होने पर सहायक कलक्टर संगरिया ने अपने निर्णय व डिक्री 26-02-2001 द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1से 4/वादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17-7-2003 द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार की तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-2-2001 अपास्त करते हुए वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर बगड़ावत को कुल 17 बीघा 9 बिस्वा व वादी हनुमान, कृष्णलाल, रामकुमार पिसरान बुधराम को कुल 10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित करने का निर्णय पारित किया तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-7-2003 से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्थान सरकार द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय नियम एवं कानून के विपरीत है क्योंकि संवत 2012 में प्रश्नगत भूमि सीलिंग कार्यवाही के अन्तर्गत असेसी धोकलराम के खाते की होने के कारण एवं प्रत्यर्थी के पिता लाधूराम एवं बुधराम की खातेदारी में नहीं थी बल्कि उनकी इन भूमियों पर कब्जा काश्त भी निर्बाध रूप से नहीं था इसलिए उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 या 19 किसी के भी प्रावधान से खातेदारी अधिकार उत्पन नहीं होते हैं। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा परीक्षण न्यायालय के तनकीवार विश्लेषित निर्णय दिनांक 26-02-2001 में अप्रासंगिक तथ्यों को जोड़कर गलत रूप से हस्तक्षेप किया है। विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है, अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाए।

5- विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि चक 9 के.एस.डी. की 32 बीघा एवं चक 13 के.एस.डी. की 20 बीघा अर्थात कुल 52 बीघा भूमि पर वादी/प्रत्यर्थी के पिता लाधूरा एवं बुधराम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू होने से पहले से ही काबिज थे और उप-कृषक की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे थे। इस भूमि

के भूमिधारी धोकलराम के विरूद्ध सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के मामले में इस 52 बीधा भूमि को गलत रूप से धोकलराम की होना माना था, बल्कि यह भूमि भारयुक्त थी और ऐसी भार युक्त भूमि को न तो असेसी की रिटर्न में जोड़ा जाता है और न ही ऐसी भूमि के विकल्प को स्वीकार किया जाता है इसलिए परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 26-02-2001 को तथ्यों की अनदेखी करते हुए एवं कानून की गलत व्याख्या करते हुए निर्णय पारित किया था, जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा उनके निर्णय दिनांक 17-7-2003 में राजस्व अभिलेखों जमाबंदी संवत 2009-2020 (प्रदर्श पी-2) है से वादीगण/प्रत्यर्थीगण के खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने का विवेचन किया है और खसरा गिरदावरीजात में दर्ज 1/3 हिस्सा बटाई इत्यादि काश्त के प्रमाण के बतौर संज्ञान लेकर वादी के दावे को डिक्री करने में कोई कानूनी भूल नहीं की है। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो चुके थे और तनकी संख्या-1 के विश्लेषण में दर्शायी गई नजीरात इस प्रकरण पर चस्पा होती है इसलिए द्वितीय अपील के माध्यम से अब इस निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1999 आर.आर.डी. पेज 01, 1980 आर.आर.डी. पेज 53, 1991 आर.आर.डी. पेज 387 तथा राजस्थान अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 36 के प्रावधानों का उल्लेख किया। इसके अलावा 1981 आर.आर.डी. पेज 17, 1997 आर.आर.डी. पेज 538, 2002 आर.बी.जे. पेज 03, 2008 आर.बी.जे. 41 (एच.सी.) व 2012 आर.बी.जे. पेज 547 तथा 2000 आर.बी.जे. पेज 85 (एच.सी.), 1976 आर.आर.डी. 645, 1977 आर.आर.डी. पेज 81 तथा 1977 आर.आर.डी. पेज 57 व पेज 484 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6- प्रत्युत्तर में विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थीगण के पिता लाधूराम व बुधराम असेसी धोकलराम की मिल्कियत की भूमि पर उप-कृषक/कृषक/खातेदार की हैसियत धारण नहीं करते थे बल्कि उनका इन्हीं भूमियों पर काश्त बटाई का 1/3 हिस्सा दर्ज होना यह दर्शाता है कि इस भूमि पर संवत 2010 और उससे पूर्व इस भूमि का असेसी धोकलराम खातेदार काश्तकार था जिसके विरूद्ध सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू हुई थी और उसी से इस भूमि को अधिग्रहण किया गया। वादीगण/प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत उपरोक्त नजीरों में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, उनसे वादीगण/प्रत्यर्थीगण के इस प्रकरण में कोई बल या समर्थन नहीं मिलता है। न्यायालय राजस्व अपील

प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं की है। धारा 19 के अन्तर्गत खातेदारी वादीगण/प्रत्यर्थीगण को प्राप्त नहीं हो सकते। अन्त में उनका निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-7-2003 निरस्त किया जावे।

7- हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया जिससे हम पाते हैं कि तनकी नंबर-1 के विवेचन में परीक्षण न्यायालय द्वारा सीलिंग कार्यवाही के अभिलेख के आधार पर तथा वादीगण द्वारा और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से यह पाया था कि विवादित भूमि धोकलराम के खातेदारी की थी और धोकलराम ने अपने घोषणा पत्र में उसे स्वयं की खातेदारी की होना दर्शाया था, जो कि राजस्व अभिलेख से मेल खाते हैं और प्रत्यर्थीगण वादीगण का दावा खारिज किया था।

8- इस तनकी के विषय में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा जमाबंदी संवत 2009-2012 में बगड़ावत बतौर उप-कृषक दर्ज होने एवं खसरा गिरदावरियों में काश्त दर्ज होना मानते हुए इन वर्षो में धोकलराम को इस भूमि का खातेदार होने की प्रविष्टि का उल्लेख किया है और संवत 2012 के पश्चातवर्ती वर्षो में बगड़ावत व बुधराम की काश्त होने का उल्लेख करते हुए और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व यानि वर्ष 2005 से उप-कृषक की हैसियत से कब्जा मानते हुए परीक्षण न्यायालय की फाईण्डिंग के प्रतिगामी फाईण्डिंग तनकी संख्या-1 के विवेचन से वादीगण/प्रर्त्थीगण के कब्जे में होना प्रमाणित माना है।

9- इस तनकी के विषय में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा जमाबंदी संवत 2009 से 2012 में बगड़ावत उपकृषक दर्ज होना माना है। प्रदर्श पी-1, पी-4 व पी-5 में काश्त दर्ज होना व उप-कृषक दर्ज होना माना है। जमाबंदी संवत 2009 से 2012 दो किता प्रदर्श-2 व प्रदर्श-3 है। इन दोनों ही जमाबंदी पी-2 व पी-3 में धोकलराम, बृजलाल पिसरान रामलाल व बहिस्सा बराबर (5859 हि0) मनफूल वल्द केवरा (6060 हि0) कॉलम-4 में दर्ज है व कॉलम-5 में खुदकाश्त दर्ज व खुदकाश्त के नीचे खसरा नंबरवाईज व काश्त में अनेक व्यक्तियों के नाम दर्ज है, में अनेकों काश्तकारों जिनमें से बगड़ावत भी है, उप-कृषक दर्ज नहीं है। प्रदर्श-1 खसरा गिरदावरी संवत 2010 संवत 2011 के कॉलम

संख्या–3 में बगड़ावत व गणपत को 1/3 – 1/3 का बटाईदार होना अंकित किया हुआ है। प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी में भी बगड़ावत 1/3 हिस्से का बटाईदार दर्ज है। इसमें खातेदार धोकलराम, बृजलाल व गणेश दर्ज है।

10– इसके अलावा प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी संवत 2005–2006, 2007–2008, 2009 में इसी 37 बीघा 19 बिस्वा रकबे पर बगड़ावत वगणपत की काश्त अंकित की हुई है जिसके खाना नंबर–15 की प्रविष्टि निम्न प्रकार है :–

> ''बकाश्त बगड़ावत विश्नोई साकिन रामपुरा मिन जात धोकल वगैरा पिसरान रामा बटाई 1/3 हिस्सा मैय नीरा 20 बीघा
>
> बकाश्त गनपत वल्द मलूराम वशनोई बटाई 1/3 मैय नीरा मिन जानब अमीलाल के 17 बीघा 19 बिस्वा इसी प्रकार की इस प्रदर्श के खाना नंबर 4 में दर्शायी गयी है।

खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 6,7,8,9 में खातेदार धोकलराम , गणपत व बगड़ावत बटाईदार दर्ज है।

11– दूसरी तरफ विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ संवत 2005 से 2009 तक की खसरा गिरदावरी के इन्द्राजात पर इस बटाई के अंकन को वादीगण/प्रत्यर्थीगण के खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने के लिये उत्तरदायी बताते है जबकि इसी प्रदर्श–5 के कॉलम–9 में ''खुदकाश्त'' दर्ज है और यह 'खुदकाश्त' कॉलम संख्या–4 में अंकित रामलाल (धोकलराम व बृजलाल का पिता) का है न कि बटाईदार का। इस प्रकार विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने राजस्व अभिलेख के अंकनों के विपरीत निष्कर्ष दिया है और उनके द्वारा इसके विश्लेक्षण में कानूनी प्रावधानों की तरफ और उससे प्रोद्‌भूत अधिकारों के विनिश्चयन में सावधानी नहीं बरतने की त्रुटि की है इसलिए तनकी संख्या–1 के विषय में उनके द्वारा दी गई फाईण्डिंग तथ्यों के विपरीत होने से संधारणीय नहीं है।

12– ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई नजीर जिनमें खसरा गिरदावरी में दर्ज काश्त को धारा 19 के अन्तर्गत वादीगण/प्रत्यर्थीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होने के कारण उक्त नजीर से समर्थन प्राप्त नहीं करते है। अतः तनकी संख्या–1 पर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा दिये गये निष्कर्ष कानून सम्मत नहीं होने से तनकी संख्या–1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। इसी प्रकार उक्त तथ्यों के प्रकाश में तनकी संख्या–2 भी वादीगण प्रत्यर्थीगण के विपरीत निर्णित की जाती है। तनकी संख्या–3 यद्यपि तनकी

संख्या–1 के विश्लेषण व उपलब्ध रिकार्ड से यह निष्कर्ष है कि संवत 2014 में भूमि विवादित धोकलराम की खातेदारी में तो है ही इसके पूर्व भी प्रत्यर्थीगण वादीगण की उपकृशक की हैसियत नहीं थी, अतः धोकलराम के विरूद्ध इसका कोई कुप्रभाव नहीं है।

13– अतः हम राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में उठाये गये आक्षेपात सारपूर्ण पाते है। न्यायालय सहायक कलक्टर, संगरिया जिला हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–02–2001 विधिसम्मत है जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 17–7–2003 से किया गया हस्तक्षेप विधि व तथ्यों के विपरीत है।

14 परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–7–2003 अपास्त किया जाता है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, संगरिया जिला हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–02–2001 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरजभान जैमन)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य